



राजस्थान सरकार
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, रानीवाड़ा, (जालोर)
जिला - जालोर
राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग वर्ग का प्रमाण-पत्र



क्रमांक: RJ/2017/राजस्व विभाग/अन्य पिछड़ा वर्ग /25690492668
दिनांक: 21-07-2025
आरोपक / पतिवार के मुलिया का जनआधार कार्ड संख्या 4742630740

यह प्रमाणित किया जाता है कि :

01 श्री महेन्द्र कुमार पुत्र/पुत्री श्री उमका राम, माता का नाम - श्रीमती मणीदेवी, राजस्थान राज्य के जिला जालोर पता- गांव सईपुर पो. जाखडौ, तहसील रानीवाड़ा, जिला जालोर के/की निवासी हैं तथा ये और या इनका कुटुम्ब यहाँ स्थाई रूप से निवास करता है/करती है/करते हैं।

02. उक्त श्री महेन्द्र कुमार राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं.प.11(164) आर.एण्ड पी./एस.जे.ई.डी./09/47032 दिनांक 25.08.2009 से अधिसूचित राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग वर्गों की अधिवृत्त व अधिसूचित सूची में सम्मिलित वर्गों में से 33 कल्बी वर्ग/जाति के/की सदस्य हैं।

03. उक्त श्री महेन्द्र कुमार आरक्षण हेतु उक्त वर्ग के क्रिमीलेयर संबंधी राज्य सरकार के कार्मिक (क-2) विभाग की अभिसूचना सं. प.7(8)कार्मिक/क-2/2008 दिनांक 25.08.2009 में उल्लेखित श्रेणियों के मापदण्ड के अनुसार क्रिमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) का/की नहीं है।

नोट :

1 : राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारीता विभाग की अधिसूचना सं.एफ.21(37) एस.जे.ई./कम्प्यू.ई.जी./08-09/73710 दिनांक 30/12/2010 के द्वारा जाति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग को मान्यता प्रदान की गयी है।

2 : उपरोक्त प्रमाण-पत्र क्रियात्मक द्वारा उपलब्ध कराये गये हैं-दस्तावेजात के आधार पर जारी किया गया है। दस्तावेजात की प्रमाणिकता के सम्बन्ध में कोई विवाद होने पर प्रमाणिकता स्विकारित किया जा सकेगा।

3 : प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गए मूल आवेदन पर एवं सम्बंधित दस्तावेजगत जिले के सम्बंधित प्रदत्त अधिकारी जिसके हस्ताक्षर से यह जारी किया जायेगा के कार्यालय में निरीक्षण/परिष्करण के लिए उपलब्ध होंगे।

4.: यह प्रमाण-पत्र डिजिटल हस्ताक्षरित है। आतः सभी कार्यों के लिये मान्य है।

5 : प्रार्थी को जारी किये गये प्रमाण-पत्र का सत्यापन www.emitra.rajasthan.gov.in पर स्थित ONLINE VERIFICATION SECTION से Online सत्यापित किया जा सकता है। टोकन संख्या : 250709597036

*राज्य के निम्नलिखित वर्ग के लिये राजस्थान सरकार के अधीन सेवकों में नियुक्तियों और प्रवृत्तता राज्य की शैक्षिक संस्थानों में छात्रों में आरक्षण के प्रावधानों।

उपखण्ड अधिकारी, रानीवाडा, (जालौर)

Signat

Digitally signed by Shril
Kumar
Date: 2025.07.21 15:52:19
+05:30
Reason: Approved
Location: Rajasthan



EMJPPL 13076469